

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

कौटिल्य नगर, पटना-14.

आनन्द प्रकाश श्रीवास्तव
स चि व



कार्यालय फोन : 2223727
फैक्स : 2224529

पत्रांक- 2XI-Est.- VecI-3/9

पटना,

दिनांक-..... 2016.

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय कार्यपालक अभियन्ता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम,
बिहार, पटना ।

विषय:- निगम के वाहन के निलामी की सूचना व्यापक रूप से प्रचारित प्रसारित कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि निगम के वाहन संख्या BR 1L 6663 एम्बेसडर कार की निलामी दि. 05.04.2016 को अपराह्न 1:00 बजे "जहाँ जैसे है" के आधार पर निगम मुख्यालय कैम्पस में की जायेगी। निलामी सूचना की एक प्रति इसके साथ संलग्न कर भेजी जा रही है। कृपया इसे कार्यालय के सूचना पट्ट पर अंकित कराने का कष्ट करें।

अनुरोध है कि निलामी सूचना की अतिरिक्त प्रतियाँ अपने प्रमण्डल में संबंधित पुलिस अधीक्षक, कार्यालय एवं जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के कार्यालयों में अपने स्तर से प्रेषित कर इसे प्रचारित प्रसारित करने का कष्ट करें।
संलग्नक-यथोपरि।

विश्वासभाजन,

ह0/-

स चि व ।

ज्ञापांक- 140 12/15 (अग्र)

पटना,

दिनांक-..... 15/4/2016

प्रतिलिपि- (1) जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, पटना समाहरणालय, पटना को निलामी सूचना के साथ प्रेषित। अनुरोध है कि इस निलामी सूचना को प्रचारित प्रसारित करने का कष्ट करें।
(2) श्री. जितेन्द्र गिरि, निजी सहायक को निलामी सूचना की प्रति के साथ प्रेषित। अनुरोध है कि निलामी सूचना निगम मुख्यालय/पुलिस मुख्यालय/पुलिस परिवहन/न्यू पुलिस लाइन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा निगम के वेबसाईट पर भी अपलोड करें।

मेघा 04032016

स चि व 15/3/16

**बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम
(बिहार सरकार का उपक्रम)
कौटिल्य नगर, पटना-14, फोन
नं०-2223727,फैक्स नं०-2224529**

निलामी सूचना हेतु विज्ञापन

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के वाहन संख्या- BR-IL-6663 एम्बेसडर कार (पेट्रोल) की निलामी दि०-05-04-2016 को 1.00 बजे अपराहन में "जहाँ जैसे है" के आधार पर निगम मुख्यालय कैम्पस में की जायेगी ।

निलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को दिनांक- 04-03-2016 को 1.00 बजे अपराहन के पूर्व 2000/- (दो हजार) रुपये मात्र की राशि प्रतिभूति के रूप में निगम मुख्यालय के रोकड़पाल के पास जमा करनी होगी ।

उच्चतम डाक बोलने वाले व्यक्ति को तीस प्रतिशत की राशि उसी समय निगम मुख्यालय के रोकड़पाल के पास जमा करनी होगी ।

पुलिस महानिदेशक- सह-अध्यक्ष-सह- प्रबन्ध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना की स्वीकृति के पश्चात् उच्चतम डाक बोलने वाले व्यक्ति को सात दिनों के अन्दर पूरी राशि रोकड़पाल के पास जमा करनी होगी । तत्पश्चात् ही गाड़ी की डिलीवरी दी जायेगी । निर्धारित अवधि तक बॉछित राशि जमा नहीं करने पर निलामी को रद्द कर दिया जायगा और प्रतिभूति की राशि जब्त कर ली जायेगी ।

पुलिस महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह- प्रबन्ध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के पास बिना कारण बताये उच्चतम डाक को अस्वीकृत अथवा स्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

स चि व ।

[Signature]
a/3